



राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दशा-नरिदेश

प्रलिमिंस के लयि:

राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दशा-नरिदेश, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन, मानव अंग प्रत्यारोपण अधनियम, 1994

मेन्स के लयि:

अंग दान को बढावा देने की आवश्यकता

चरचा में क्यौं?

हाल ही में सवास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दशा-नरिदेशों में संशोधन कयि है, अब 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग प्रत्यारोपण के लयि मृत दाताओं से अंग प्राप्त कर सकते हैं।

- मानव अंग प्रत्यारोपण अधनियम, 1994 मानव अंगों को अलग करने तथा इनके भंडारण के लयि वभिन्न नयिम नरिधारति करता है। मानव अंगों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लयि यह चकितिसीय उपयोग हेतु मानव अंगों के प्रत्यारोपण को वनियमति करता है।



The tweaks in policy

According to officials familiar with the matter, the guidelines are likely to undergo following changes:

UPPER LIMIT CHANGED:

The Centre has removed the upper age limit as life expectancy has increased, and a 65-year-old is no longer considered a very old patient.

NO DOMICILE REQUIREMENT:


A citizen can now register for organ donation in any state; previous requirement of registering in the state of domicile has been removed

NO REGISTRATION FEES:

The Centre has asked state governments to stop taking fees to register a patient for organ transplants

■ 2013 ■ 2022

Total organ transplants



Deceased organ transplants



Living organ transplants:



Since health is a state subject, the Centre has begun consultation with states to bring them on board with the changes



//

नए दशा-नरिदेशों की प्रमुख बातें:

- **उम्र सीमा हटाई गई:**
 - अधिक अवधिक के जीवन के उद्देश्य से ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया गया है।
 - इससे पहले **NOTTO (नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन)** के दशा-नरिदेशों के अनुसार, 65 वर्ष से अधिक आयु के अंतिम चरण के अंग वफिलता रोगी अंग प्राप्त करने के लिये पंजीकरण करने हेतु प्रतर्बिधति थे।
- **डोमिसाइल/अधवास की कोई आवश्यकता नहीं:**
 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'वन नेशन, वन पॉलिसी' के तहत किसी विशेष राज्य में अंग प्राप्तकर्त्ता के रूप में **पंजीकरण के लिये डोमिसाइल/अधवास की अनवार्यता को हटा दिया है।**
 - अब कोई **ज़रूरतमंद मरीज़ अपनी पसंद के किसी भी राज्य में अंग प्राप्त करने के लिये पंजीकरण करा सकता है** और वहाँ सर्जरी भी करवा सकेगा।
- **पंजीकरण हेतु कोई शुल्क नहीं:**
 - केंद्र ने ऐसे पंजीकरण हेतु शुल्क लेने वाले राज्यों से कहा है कवि ऐसा न करें।
 - पंजीकरण के लिये शुल्क लेने वाले राज्यों में **गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल** शामिल हैं।
 - कुछ राज्यों में अंग प्राप्तकर्त्ता प्रतीक्षा सूची वाले मरीज़ से पंजीकृत करने के लिये 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक मांग की जाती है।

नोट:

- NOTTO की स्थापना नई दिल्ली में स्थिति स्वास्थ्य सेवा महानदिशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत की गई है।
- NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंगों एवं ऊतकों के दान और प्रत्यारोपण के लिये खरीद, वितरण और पंजीकरण हेतु अखलि भारतीय गतविधियों के शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है।

नए दशा-नरिदेशों का उददेश्य:

- केंद्र प्रत्यारोपण के लिये एक राष्ट्रीय नीतबिबाने की दशा में मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधनियम, 2011 के नयिमों में बदलाव करने की योजना बना रहा है ।
- वर्तमान में वभिन्न राज्यों में अलग-अलग नयिम हैं; केंद्र सरकार नयिमों में बदलाव पर वचिर कर रही है ताकि देश भर के सभी राज्यों में एक मानक मानदंड का पालन कया जा सके ।
- हालाँकि सवासथय राज्य सूची का वषिय है, इस कारण केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नयिम राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होंगे ।
- इन कदमों का उददेश्य मानव अंगों की प्राप्ति हेतु सुधार और अधिक न्यायसंगत पहुँच के साथ-साथ शव दान को बढ़ावा देना है, जो वर्तमान में भारत में कयि गए सभी अंग प्रत्यारोपणों के नगण्य हसिसे के बराबर है ।

भारत में अंग प्रत्यारोपण का परदृश्य:

- अंगों के प्रत्यारोपण के मामले में भारत वशिव में तीसरे स्थान पर है ।
- वर्ष 2022 में सभी प्रत्यारोपणों में मृतक दाताओं के अंग लगभग 17.8% थे ।
- मृतक अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या वर्ष 2013 में 837 से बढ़कर वर्ष 2022 में 2,765 हो गई ।
- अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या- मृतक और जीवति दाताओं दोनों के अंगों के साथवर्ष 2013 के 4,990 से बढ़कर वर्ष 2022 में 15,561 हो गई ।
- हर साल अनुमानतः 1.5-2 लाख लोगों को कडिनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है ।
 - वर्ष 2022 में लगभग 10,000 पर केवल एक वयक्तिको मानव अंग की प्राप्ति हुई । जनि 80,000 लोगों को लीवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी, उनमें से 3,000 से भी कम लोगों को वर्ष 2022 में एक मानव अंग प्राप्ति हो सका ।
 - वर्ष 2022 में 10,000 लोगों में से केवल 250 का ही हृदय प्रत्यारोपण हो पाया ।

आगे की राह

- अंगदान को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण पहल है कयोंकि यह जीवन को बचा सकता है और पूरे समाज को लाभान्वति कर सकता है ।
- साथ ही जागरूकता बढ़ाकर, जनता को शक्ति करके और दान प्रक्रया में सुधार करके, हम अंग एवं ऊतक दान को अधिक सुलभ बना सकते हैं तथा संभावति दाताओं की संख्या बढ़ा सकते हैं ।
- दान कयि गए अंगों को गरीबों हेतु अधिक सुलभ बनाने के लयिसार्वजनिक अस्पतालों को प्रत्यारोपण करने हेतु अपनी बुनयादी सुवधाओं का वसितार के साथ गरीबों को उचति उपचार प्रदान करना चाहयि ।
- यह सुझाव दया जाता है कि कर्स-सब्सडी से कमज़ोर वर्ग तक पहुँच बढ़ेगी । प्रत्येक 3 या 4 प्रत्यारोपण के लयिजी अस्पतालों को आबादी के उस हसिसे का नशुल्क प्रत्यारोपण करना चाहयि जो अधकिांश अंग दान करते हैं ।

स्रोत: हदिसतान टाइम्स